न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, खाजूवाला जिला बीकानेर
पीठासीन अधिकारी :–पंकज गढ़वाल आर.ए.एस.
राजस्व प्रार्थनापत्र संख्या :–2026/44

01 दत राम पुत्र मनफूल राम जाति मेघवाल निवासी चक 17 केवाईडी तहसील खाजूवाला जिला बीकानेर .

........प्रार्थी

बनाम

01 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार खाजूवाला । ....अप्रार्थी

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 136 एलआरएक्ट

निर्णय **दिनांक :–13.03.26**

यह प्रार्थनापत्र न्यायालय हाजा में प्रस्तुत हुआ। प्रार्थनापत्र से संबंधित संक्षिप्त विवरण प्रार्थनापत्र अनुसार इसप्रकार है कि प्रार्थी व सहिस्सेदारान के नाम से चक 18 केवाईडी मु0नं0 97/30 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर मय खाला कमाण्ड खातेदारी कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है। जिसमें मुझ प्रार्थी का 1/6 हिस्सा रकबा दर्ज राजस्व रिकॉर्ड है तथा उक्त भूमि मुझ प्रार्थी ने जरिये दानपत्र प्राप्त की है। राजस्व रिकॉर्ड में ऑनलाईन करते समय दताराम दर्ज हो गया। प्रार्थी के समस्त दस्तावेज में नाम दत राम अंकित है। उपरोक्त भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दताराम की जगह दत राम दुरूस्त करने का निवेदन किया है।

सर्वप्रथम प्रार्थनापत्र धारा 136 एलआरएक्ट में दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र साबित करने के पक्ष में जमाबंदी, आधारकार्ड, जाति प्रमाणपत्र, मूलनिवास, दानपत्र की प्रति प्रस्तुत की है। पत्रावली पर सुना गया। प्रार्थी ने प्रार्थनापत्र के कथनों को दोहराते हुवे वादपत्र/प्रार्थनापत्र स्वीकार फरमाने का निवेदन किया। वादी/प्रार्थी का वादपत्र/प्रार्थनापत्र साक्ष्य –सबूतों के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के आधार पर धारा 136 एलआरएक्ट में प्रदत प्रावधानों/शक्तियों का प्रयोग करते हुवे प्रार्थनापत्र आंशिक स्वीकार किया जाता है एवं चक 18 केवाईडी मु0नं0 97 /30 के किला नं0 1 ता 25 की 6.3225 हैक्टर कमाण्ड भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में प्रार्थी का नाम दताराम की जगह दत राम संशोधन किया जाकर राजस्व रिकॉर्ड में दुरूस्त किया जाता है। शेष प्रविष्टिया यथावत रखी जावे। यदि किसी न्यायालय में कोई अपराधिक वाद या जांच दताराम नाम से विचाराधीन हो या किसी सरकारी संस्था का दताराम नाम से देय बकाया हो तो उसके लिए प्रार्थीया का नाम दताराम ही लागू होगा। अगर नाम संशोधन को लेकर कोई तथ्य छुपाया गया हो और निकट भविष्य में प्रकट होता है तो प्रार्थी स्वयं जिम्मेदार होगी। तहसीलदार खाजूवाला को निर्णय की प्रति प्रेषित कर पालना हेतु पृथक से लिखा जावें। निर्णय आज दिनांक 13.03.26 को सरे इजलास सुनाया गया।

(पकंज गढ़वाल),
(आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी,
(खाजूवाला)